

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18

भाग -1

भूमिका :

चीनी आक्रमण के परिपेक्ष्य में सन् 1962 में स्थापित गृह रक्षा संगठन का गठन प्रदेश के कुछेक जिलों में आरम्भ हुआ था, जिसकी बढ़ती हुई उपयोगिता एवं लोकप्रियता के कारण आज यह एक महत्वपूर्ण विभाग बनकर उभरा है जिसकी ईकाइयां राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित है एवं जिसमें प्रत्येक धर्म, वर्ग और क्षेत्र के लगभग 30714 होमगार्ड्स (स्त्री तथा पुरुष) स्वयं सेवक कार्यरत है। निष्काम सेवा तथा राष्ट्र प्रेम की आधार भूमि पर खड़े इस विशाल वट वृक्ष की गृह रक्षा मूल शाखा है।

गृह रक्षा की तीन शाखायें हैं :-

1. सीमा गृह रक्षा 2. शहरी गृह रक्षा 3. ग्रामीण गृह रक्षा

सीमा गृह रक्षा राज्य के चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर , जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में है। शहरी गृह रक्षा राज्य के समस्त जिलों में एवं ग्रामीण गृह रक्षा राज्य के 22 जिलों में है। राज्य के 21 जिलों में शहरी गृह रक्षा में 1112 महिला स्वयं सेविकायें भी हैं। इस प्रकार कुल 30714 गृह रक्षा के प्रशिक्षित स्वयं सेवक/सेविकाएं हैं। गृह रक्षा स्वयं सेवकों का चयन राजस्थान होम गार्ड्स रूल्स 1962 के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जिले के ऐसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम व 45 वर्ष से अधिक नहीं होती है।

इस विभाग का गठन निम्न प्रकार किया हुआ है :-

1. गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
2. संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर (राज्य स्तर पर)।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियन (चार सीमान्त जिलों क्रमशः बाड़मेर ,बीकानेर, श्री गंगानगर एवं जैसलमेर में)
4. शहरी, ग्रामीण गृह रक्षा ईकाइयों (जिला स्तर पर)।

नियन्त्रण :

1. इस विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा के अधीन है। विभागाध्यक्ष के सहायक के रूप में पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ अधिकृत है।
2. संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा का प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशक के अधीन है, जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु निदेशक के अतिरिक्त उप समादेष्टा एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।
3. सीमा गृह रक्षा बटालियनों का नियन्त्रण गण समादेष्टा के अधीन है। इन अधिकारियों की सहायतार्थ उप गण समादेष्टा व अन्य कर्मचारी अधिकृत हैं।
4. शहरी/ग्रामीण गृह रक्षा इकाइयां प्रत्येक जिले में स्थापित है जिनका नियंत्रण समादेष्टा अथवा डिवीजनल कमाण्डर में निहित है तथा सहायक के रूप में अधीनस्थ कर्मचारी अधिकृत हैं।

भाग - 2

1. गृह रक्षा, मुख्यालय

गृह रक्षा, मुख्यालय, जयपुर में स्थित है। इसी के अधीन गृह रक्षा का केन्द्रीय भण्डार एवं एक डिस्पेंसरी कार्यरत है। स्वीकृत/उपलब्ध स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियाँ | विशेष विवरण |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|-----------|----------------------------------------|
| भारतीय पुलिस सेवा : | | | | | |
| 1. | महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा | 1 | 1 | — | |
| 2. | अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा | 1 | 1 | — | |
| राजस्थान गृह रक्षा सेवा : | | | | | |
| 1. | उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान | 2 | 1 | 1 | |
| 2. | सीनियर स्टाफ ऑफिसर | 2 | 2 | — | |
| 3. | जूनियर स्टाफ ऑफिसर | 1 | 1 | — | |
| 4. | उप समादेष्टा (एल.आर.) | 2 | 1 | 1 | |
| 5. | उप समादेष्टा (भण्डार) | 1 | — | 1 | |
| राजस्थान लेखा सेवा : | | | | | |
| 1. | वित्तीय सलाहकार | 1 | 1 | — | |
| राजस्थान चिकित्सा सेवा : | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ चिकित्सक | 1 | 1 | — | |
| विभागीय अधीनस्थ सेवा : | | | | | |
| 1 | कम्पनी कमाण्डर | 1 | 1 | — | |
| 2. | कम्पनी कमाण्डर आर्मीरर | 1 | 1 | — | |
| 3. | निरीक्षक (एम.टी.) | 1 | 1 | — | |
| 4. | कनिष्ठ विधि अधिकारी | 1 | — | 1 | |
| 5. | प्लाटून कमाण्डर (एम.टी.) | 1 | — | 1 | एक पी.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित |
| 6. | प्लाटून कमाण्डर | 1 | 1 | — | |
| 7. | मुख्य आरक्षी | 3 | 3 | — | |
| 8. | मुख्य आरक्षी आर्मीरर | 2 | — | 2 | दो एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित |
| 9. | आरक्षी | 14 | 3 | 11 | |
| 10. | मशीनमैन | 1 | — | 1 | |
| 11. | वाहन चालक | 1 | — | 1 | |
| 12. | वार्ड ब्वाय | 1 | — | 1 | |
| लेखा अधीनस्थ सेवा : | | | | | |
| 1. | लेखाधिकारी | 1 | 1 | — | |
| 2. | सहायक लेखाधिकारी-1 | 1 | 1 | — | |
| 3. | सहायक लेखाधिकारी-11 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | कनिष्ठ लेखाकार | 3 | 1 | 2 | |
| मंत्रालयिक सेवा : | | | | | |
| 1 | निजी सचिव | 1 | 1 | — | |
| 2. | निजी सहायक | 2 | 2 | — | |
| 3. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 1 | 1 | — | |
| 4. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 6 | 4 | 2 | |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 5. | वरिष्ठ सहायक | 12 | 11 | 1 | |
| 6. | कनिष्ठ सहायक | 7 | 6 | 1 | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | | | | | |
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 5 | 4 | 1 | |
| 2. | स्वीपर | 1 | 1 | — | |
| योग | | 82 | 53 | 29 | |

संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर :

राज्य में संयुक्त केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, गृह रक्षा की स्थापना वर्ष 1982 में जयपुर में की गई थी। यह प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को विभिन्न प्रकार के कोर्सेस में प्रशिक्षित करता है तथा आवश्यकतानुसार एवं मांग पर अन्य विभागों के लिए भी प्रशिक्षण चलाता है। इस संस्थान पर नियन्त्रण एवं प्रशासनिक प्रबन्धन के लिए स्वीकृत एवम् उपलब्ध स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियां | विशेष विवरण |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------|
| राज्य सेवा : | | | | | |
| 1. | निदेशक | 1 | 1 | — | |
| 2. | उप समादेष्टा | 1 | — | 1 | |
| अधीनस्थ सेवा : | | | | | |
| 1. | सीनियर इंस्ट्रक्टर | 1 | — | 1 | एक सी.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित |
| 2. | नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षक | 1 | — | 1 | |
| 3. | कम्पनी कमाण्डर | 1 | 1 | — | |
| 4. | प्लाटून कमाण्डर | 3 | 3 | — | |
| 5. | मुख्य आरक्षी | 6 | 5 | 1 | |
| 6. | आरक्षी | 13 | 2 | 11 | |
| 7. | बिगुलर | 2 | — | 2 | |
| 8. | ड्रम मैन | 2 | — | 2 | |
| 9. | कांस्टेबल ड्राईवर | 1 | — | 1 | |
| लेखा सेवा | | | | | |
| 1 | सहायक लेखाधिकारी-1A | 1 | 1 | — | |
| मंत्रालयिक सेवा : | | | | | |
| 1. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 1 | — | 1 | |
| 2. | शीघ्र लिपिक(स्टेनो) | 1 | — | 1 | |
| 3. | वरिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड-1) | 1 | — | 1 | |
| 4. | कनिष्ठ सहायक (क्लर्क ग्रेड-1A) | 3 | 2 | 1 | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | | | | | |
| 1. | चौकीदार | 2 | 1 | 1 | |
| 2. | कुक | 2 | 2 | — | |
| 3. | कारपेन्टर | 1 | 1 | — | |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 2 | 2 | — | |
| योग | | 46 | 21 | 25 | |

भाग – 3

गृह रक्षा संगठन :

गृह रक्षा के मुख्य कृत्य निम्न प्रकार हैं :-

1. कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना।
2. नागरिक सुरक्षा की अग्नि शमन, बचाव (Rescue), संचार एवं एम्बुलेंस सर्विसेज का मुख्य भूमिका के रूप में कार्य करना।
3. असामान्य स्थिति में परिवहन, संचार, बिजली, जल तथा परमावश्यक सेवाओं को बनाये रखना।
4. सरकार की समाज कल्याण योजना में मदद करना।
5. ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राज्य सरकार या महानिदेशक गृह रक्षा द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें। वर्तमान परिपेक्ष्य में स्वयं सेवकों का उपयोग सरकार द्वारा पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था ड्यूटी तथा विभिन्न संस्थानों की सुरक्षा एवं सरकारी कार्यालयों में रिक्त हुये पदों के स्थान पर लिया जा रहा है।

सीमा गृह रक्षा का मुख्य कृत्य सेना के सहायक के रूप में कार्य करना, सीमा क्षेत्र के निवासियों का मनोबल दृढ़ बनाये रखना तथा महत्वपूर्ण संस्थानों व संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा कर भारतीय सेना की कमान्ड में रहते हुए राष्ट्र की रक्षा करना है इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर चुनावों एवं अन्य अवसरों पर कानून-व्यवस्था बनाये रखने तथा आन्तरिक सुरक्षा में पुलिस/प्रशासन की सहायता करना है।

(अ) सीमा गृह रक्षा दल (24 कम्पनियों)

प्रदेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के कारण राजस्थान में शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा के अतिरिक्त प्रत्येक सीमान्त जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में एक-एक बोर्डर विंग होम गार्ड बटालियन स्वीकृत है। प्रत्येक बटालियन में 6 कम्पनियाँ स्वीकृत हैं एवं प्रत्येक कम्पनी में 111 स्वयं सेवक पदस्थापित हैं। इस प्रकार से बोर्डर विंग होम गार्ड की चारों बटालियनों की कुल नफरी 2664 स्वयं सेवकों की है।

इन चारों बटालियनों (24 कम्पनियों) के प्रशिक्षण, प्रशासनिक व्यवस्था एवं नियन्त्रण के लिए नियमित स्टाफ की स्थिति निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियाँ | विशेष विवरण |
|-----------------------|------------------------|---------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राज्य सेवा : | | | | | |
| 1. | गण समादेष्टा | 4 | 2 | 2 | |
| 2. | उप गण समादेष्टा | 4 | 1 | 3 | |
| अधीनस्थ सेवा : | | | | | |
| 1. | कम्पनी कमाण्डर | 28 | 8 | 20 | |
| 2. | प्लाटून कमाण्डर | 76 | 23 | 53 | चार एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित |
| 3. | प्लाटून कमाण्डर आरमोरर | 4 | — | 4 | |
| 4. | प्लाटून कमाण्डर एम.टी. | 4 | 1 | 3 | |
| 5. | मुख्य आरक्षी | 24 | 22 | 2 | तीन मुख्य आरक्षियों का बोर्डर होम गार्ड में पी.सी. के रिक्त पदों के विरुद्ध वेतन आहरित किया जा रहा है। |
| 6. | मुख्य आरक्षी एम.टी. | 3 | — | 3 | दो एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित |
| 7. | मुख्य आरक्षी आरमोरर | 4 | — | 4 | एक एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|--|
| 8. | ड्राईवर/आरक्षी वाहन चालक | 35 | 12 | 23 | |
| 9. | आरक्षी | 103 | 15 | 88 | |
| अधीनस्थ लेखा सेवा : | | | | | |
| 1. | सहायक लेखाधिकारी-1A | 4 | 2 | 2 | |
| मंत्रालयिक सेवा : | | | | | |
| 1. | अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी | 4 | 1 | 3 | |
| 2. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 4 | 3 | 1 | |
| 3. | वरिष्ठ सहायक | 4 | 4 | — | |
| 4. | कनिष्ठ सहायक | 20 | 08 | 12 | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | | | | | |
| 1. | चौकीदार | 21 | 16 | 5 | |
| 2. | स्वीपर | 27 | 13 | 14 | |
| योग : | | 373 | 131 | 242 | |

(ब) शहरी गृह रक्षा (208 कम्पनियों) :-

राज्य के सभी 33 जिलों में शहरी गृह रक्षा दल की इकाइयाँ गठित हैं। इनमें 10 महिला कम्पनियाँ भी हैं जिनमें 1147 महिला स्वयं सेविकाएँ हैं। महिला स्वयं सेविकाएँ राज्य के 21 जिलों में आवंटित की हुई हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट-“ब” अनुसार है।

प्रशिक्षण, नियन्त्रण एवं प्रशासनिक कार्य सम्पादन करने हेतु जिला इकाइयों में शहरी गृह रक्षा में समादेष्टा पदस्थापित है तथा उनकी सहायतार्थ निम्नानुसार स्थाई स्टाफ आवंटित किया हुआ है :-

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियाँ | विशेष विवरण |
|--------------------------------|----------------------------|---------|--------|-----------|----------------------------------------|
| राज्य सेवा : | | | | | |
| 1. | डिवीजनल कमाण्डर | 7 | 2 | 5 | एक समादेष्टा प्रतिनियुक्ति पर |
| 2. | उप समादेष्टा | 26 | 12 | 14 | |
| अधीनस्थ सेवा : | | | | | |
| 1. | कम्पनी कमाण्डर | 20 | 12 | 8 | |
| 2. | प्लाटून कमाण्डर | 73 | 47 | 26 | एक एच.सी रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित |
| 3. | मुख्य आरक्षी | 62 | 50 | 12 | |
| 4. | वाहन चालक/आरक्षी वाहन चालक | 10 | 2 | 8 | |
| 5. | आरक्षी | 96 | 11 | 85 | |
| अधीनस्थ लेखा सेवा : | | | | | |
| 1. | सहायक लेखाधिकारी-1A | — | — | — | |
| 2. | सहायक लेखाधिकारी-1A | 12 | 7 | 5 | |
| 3. | कनिष्ठ लेखाकार | 1 | 1 | — | |
| अधीनस्थ चिकित्सा सेवा : | | | | | |
| 1. | कम्पाउण्डर | 1 | 1 | — | |

| मंत्रालयिक सेवाएँ : | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 1. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | 15 | 07 | 08 | |
| 2. | वरिष्ठ सहायक | 31 | 27 | 04 | |
| 3. | कनिष्ठ सहायक | 39 | 25 | 14. | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | | | | | |
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 16 | 12 | 4 | |
| 2. | कुक | 2 | 1 | 1 | |
| योग : | | 411 | 217 | 194 | |

(स) ग्रामीण गृह रक्षा (47 कम्पनियों):

ग्रामीण क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, रेलवे ट्रेक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ग्रामीण गृह रक्षा की इकाईयों गठित की गई हैं। इनका यह कार्य शहरी गृह रक्षा की निर्धारित भूमिका के अतिरिक्त है। वर्तमान में ग्रामीण गृह रक्षा इकाई 22 जिलों (जयपुर, झुन्झुनू, अलवर, सिरोही, जोधपुर, अजमेर, बून्दी, बारां, झालावाड, टोंक, नागौर, सीकर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, चूरु, पाली, कोटा, भीलवाडा, दौसा, चित्तौडगढ, धौलपुर, राजसमन्द) में ही गठित की गई है जिनमें 5176 स्वयं सेवक हैं।

इनके नियन्त्रण, प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी शहरी गृह रक्षा के समादेष्टा की है तथा उनकी सहायतार्थ नियमित स्टाफ स्वीकृत है जिनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | नाम पद | स्वीकृत | उपलब्ध | रिक्तियाँ | विशेष विवरण |
|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| अधीनस्थ सेवा : | | | | | |
| 1. | कम्पनी कमाण्डर | 4 | 3 | 1 | |
| 2. | प्लाटून कमाण्डर | 18 | 13 | 5 | |
| 3. | मुख्य आरक्षी | 38 | 25 | 13 | |
| 4. | आरक्षी | 3 | — | 3 | |
| चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी : | | | | | |
| 1. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 18 | 14 | 04 | |
| 2. | कुक | 05 | 04 | 01 | |
| 3. | स्वीपर | 07 | 05 | 02 | |
| योग : | | 93 | 64 | 29 | |

- वर्तमान में विभाग में 1005 नियमित कार्मिकों की नफरी स्वीकृत है जिसके विरुद्ध वर्तमान में 486 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 519 पद रिक्त चल रहे हैं। उपरोक्त दी गई सूचियों में स्थिति वर्ष जनवरी 2018 तक की दर्शाई गई है।

- इस विभाग में 15 अधिकारी/कर्मचारियों को राज्य कार्य को देखते हुए रिक्त पदों के विरुद्ध अस्थाई रूप से पदस्थापित किया गया है।
- सीमा गृह रक्षा, शहरी व ग्रामीण गृह रक्षा के कुल 30714 स्वयं सेवकों का विभिन्न जिलों में वितरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

डिप्लॉयमेंट :

वर्ष 2017-2018 में माह अप्रैल, 2017 से जनवरी 2018 तक सीमा, शहरी, ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों को निम्न प्रकार ड्यूटी पर नियोजित किया गया :-

(अ) शहरी / ग्रामीण गृह रक्षा

| क्र.स. | ड्यूटी का नाम | सदस्यों की संख्या | अवधि |
|--------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1 | रात्रीगश्त ड्यूटी | 1000 | 30.05.2017 से लगातार |
| 2 | यातायात ड्यूटी | 1000 | 21.04.2017 से लगातार |
| 3 | कारागृह (जेल) ड्यूटी | 300 | 01.04.2017 से लगातार |
| 4 | आबकारी ड्यूटी | 146 | 01.04.2017 से लगातार |
| 5 | शासन सचिवालय, ड्यूटी | 271 | 01.04.2017 से लगातार |
| 6 | भेड़ निष्क्रमण, ड्यूटी | 1361 | 21.06.2017 से 15.12.2017 |
| 7 | विधान सभा भवन सुरक्षा, ड्यूटी | 12 | 01.04.2017 से लगातार |
| 8 | मा.शि.बोर्ड परीक्षा 2017 ड्यूटी | 61927 मैनडेज | 27.02.2017 से 22.04.2017 तक |
| 9 | संस्कृत वि.वि परीक्षा 2017 ड्यूटी | 40 | 01.04.2017 से 20.04.2017 तक |
| 10 | आरक्षी/आरक्षी वाहन चालक के रिक्त पदों के विरुद्ध | 56 65 | 01.04.2017 से लगातार 09.05.2017 से लगातार |
| 11 | मेले/पर्वों के दौरान ड्यूटी | 93686 मैनडेज | 01.04.2017 से 31.12.2017 तक |
| 12 | विभिन्न ड्यूटियां | 10360 मैनडेज | 01.04.2017 से 31.12.2017 तक |

(ब) सीमा गृह रक्षा ड्यूटियाँ

| क्र.स. | ड्यूटी का नाम | सदस्यों की संख्या | अवधि |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | जेल ड्यूटी | 500 | 01.04.2017 से लगातार |
| 2 | राज.उच्च न्यायालय, जयपुर | 22 | 01.04.2017 से लगातार |
| 3 | आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्र | 70 | 01.04.2017 एवं 01.10.2017 से लगातार |
| 4 | सुपर थर्मल पाँवर, बारां | 100 | 01.04.2017 से लगातार |
| 5 | केयर्न एनर्जी, बाड़मेर | 144 | 01.04.2017 से लगातार |
| 6 | सुजलान एनर्जी, जैसलमेर | 31 | 01.04.2017 से लगातार |
| 7 | काली सिन्ध थर्मल, झालावाड | 90 | 01.04.2017 से लगातार |
| 8 | हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स | 137 | 01.04.2017 से लगातार |
| 9 | रिलायन्स सोलर प्रोजेक्ट पोकरण, जैसलमेर | 15 | 01.04.2017 से लगातार |
| 10 | आईनोक्स विंड इन्फ्रास्टेक्चर लि. जैसलमेर | 05 | 01.04.2017 से लगातार |
| 11 | सम्प्रेक्षण एवं बाल किशोर गृह, जयपुर | 12 | 01.04.2017 से लगातार |
| 12 | वी.एस. लिग्नाईट पावर प्रा.लि. बीकानेर | 15 | 01.12.2017 से लगातार |
| कुल नियोजन दिनांक 31.12.2017 | | 1141 | |
| 13 | गुजरात विधान सभा चुनाव 2017 | 05 कम्पनी | 02.12.2017 से 17.12.2017 तक |

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर में वर्ष 2017-18 में संचालित पाठ्यक्रम :

| क्र.सं. | कोर्स का नाम | अवधि | प्रशिक्षणार्थियों का स्तर | आवंटित सीटों की संख्या |
|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| 1. | यातायात नियंत्रण कोर्स | 17.04.17 से 21.04.17 | Hcc/H.G. vols. | 35 |
| 2 | लीडरशीप रिफ्रेशर कोर्स | 17.04.17 से 21.04.17 | Hcc/H.G. vols. | 35 |
| 3 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 24.04.17 से 28.04.17 | HG VOL. | 35 |
| 4 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 24.04.17 से 28.04.17 | BHG sgt,cpl,lcpl | 36 |
| 5 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 01.05.17 से 05.05.17 | H.G.vols | 35 |
| 6 | आई.टी. रिफ्रेशर कोर्स | 01.05.17 से 05.05.17 | BHG sgt,cpl,lcpl | 36 |
| 7 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 08.05.17 से 12.05.17 | HHC/H.G. vols. | 35 |
| 8 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 08.05.17 से 12.05.17 | BHG vols. | 36 |
| 9 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 15.05.17 से 19.05.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 10 | मानद पूर्व पदोन्नति कोर्स | 15.05.17 से 19.05.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 11 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 22.05.17 से 26.05.17 | H.G. vols | 35 |
| 12 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 29.05.17 से 02.06.17 | HHC/ H.G. vols. | 35 |
| 13 | पी.टी रिफ्रेशर कोर्स | 29.05.17 से 02.06.17 | BHG vols. | 36 |
| 14 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 05.06.17 से 09.06.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 15 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 05.06.17 से 09.06.17 | BGH vols. | 36 |
| 16 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 12.06.17 से 16.06.17 | H.G. vols | 35 |
| 17 | इन्सट्रक्टर कोर्स | 12.06.17 से 16.06.17 | HCC/HPC | 35 |
| 18 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 19.06.17 से 23.06.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 19 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 03.07.17 से 07.07.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 20 | बैसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स | 03.07.17 से 07.07.17 | H.G. vols (women) | 35 |
| 21 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 10.07.17 से 14.07.17 | H.G. vols | 35 |
| 22 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 10.07.17 से 14.07.17 | BHG vols. | 36 |
| 23 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 17.07.17 से 21.07.17 | HCC/HPC | 35 |
| 24 | लीडरशीप रिफ्रेशर कोर्स | 17.07.17 से 21.07.17 | HCC/HPC | 35 |
| 25 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 24.07.17 से 28.07.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 26 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 24.07.17 से 28.07.17 | H.G. vols | 35 |
| 27 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 31.07.17 से 04.08.17 | H.G. vols | 35 |
| 28 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 14.08.17 से 18.08.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 29 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 14.08.17 से 18.08.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 30 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 28.08.17 से 01.09.17 | H.G. vols (women) | 35 |
| 31 | मानद पूर्व पदोन्नति कोर्स | 28.08.17 से 01.09.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 32 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 04.09.17 से 08.09.17 | BHG VOL.. | 36 |
| 33 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 04.09.17 से 08.09.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 34 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 11.09.17 से 15.09.17 | H.G. vols (women) | 35 |
| 35 | सर्च एण्ड रैस्क्यू कोर्स | 11.09.17 से 15.09.17 | H.G. vols | 35 |
| 36 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 18.09.17 से 22.09.17 | HCC/HPC | 35 |
| 37 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 18.09.17 से 22.09.17 | H.G. vols | 35 |
| 38 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 25.09.17 से 29.09.17 | H.G. vols (women) | 35 |
| 39 | पी.टी. रिफ्रेशर कोर्स | 25.09.17 से 29.09.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 40 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 09.10.17 से 13.10.17 | HCC/HPC | 35 |
| 41 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 09.10.17 से 13.10.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |

| | | | | |
|----|----------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| 42 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 23.10.17 से 27.10.17 | H.G. vols (women) | 35 |
| 43 | इन्सट्रक्टर कोर्स | 23.10.17 से 27.10.17 | HCC/HPC | 35 |
| 44 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 30.10.17 से 03.11.17 | H.G. vols | 35 |
| 45 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 30.10.17 से 03.11.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 46 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 06.11.17 से 10.11.17 | H.G. vols (women) | 35 |
| 47 | मानद पूर्व पदोन्नति कोर्स | 06.11.17 से 10.11.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 48 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 13.11.17 से 17.11.17 | HCC/HPC | 35 |
| 49 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 13.11.17 से 17.11.17 | H.G. vols | 35 |
| 50 | पी.टी. रिफ्रेशर कोर्स | 20.11.17 से 24.11.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 51 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 27.11.17 से 01.12.17 | BGH vols. | 36 |
| 52 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 02.12.17 से 06.12.17 | H.G. vols | 35 |
| 53 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 02.12.17 से 06.12.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 54 | इन्सट्रक्टर कोर्स | 11.12.17 से 15.12.17 | BHG sgt,cpl,lcpl | 36 |
| 55 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 11.12.17 से 15.12.17 | BHG vols. | 36 |
| 56 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 18.12.17 से 22.12.17 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 57 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 18.12.17 से 22.12.17 | H.G. vols | 35 |
| 58 | मानद पूर्व पदोन्नति कोर्स | 01.01.18 से 05.01.18 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 59 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 01.01.18 से 05.01.18 | BHG vols. | 36 |
| 60 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 08.01.18 से 12.01.18 | H.G. vols (women) | 35 |
| 61 | पी.टी. रिफ्रेशर कोर्स | 08.01.18 से 12.01.18 | H.G. vols | 35 |
| 62 | पी.टी. रिफ्रेशर कोर्स | 15.01.18 से 19.01.18 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 63 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 29.01.18 से 02.02.18 | H.G. vols (women) | 35 |
| 64 | मानद पूर्व पदोन्नति कोर्स | 29.01.18 से 02.02.18 | HHC/ H.G. vols | 35 |
| 65 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 12.02.18 से 16.02.18 | HCC/HPC | 35 |
| 66 | लीडरशीप रिफ्रेशर कोर्स | 12.02.18 से 16.02.18 | HCC/HPC | 35 |
| 67 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 26.02.18 से 02.03.18 | HCC/HPC | 35 |
| 68 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 26.02.18 से 02.03.18 | HCC/HPC | 35 |
| 69 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 19.03.18 से 23.03.18 | HCC/HPC | 35 |
| 70 | बैसिक लाइफ सपोर्ट कोर्स | 19.03.18 से 23.03.18 | H.G. vols | 35 |
| 71 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 26.03.18 से 30.03.18 | HHC/ H.G. vols. | 35 |
| 72 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 26.03.18 से 30.03.18 | H.G. vols | 35 |

(ब) स्थाई स्टाफ के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम वर्ष 2017-18 :-

| क्र.सं. | कोर्स का नाम | अवधि | स्तर | आवंटित सीटों की संख्या |
|---------|----------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 1. | आई.टी.रिफ्रेशर कोर्स | 03.04.17 से 07.04.17 | HC/Ct | 25 |
| 2 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 03.04.17 से 07.04.17 | P.c | 25 |
| 3 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 22.05.17 से 26.05.17 | H.C./Ct. | 25 |
| 4 | ड्रील रिफ्रेशर कोर्स | 19.06.17 से 23.06.17 | HC/Ct | 25 |
| 5 | रिओरियन्टेशन कोर्स फॉर ऑफिसर्स | 31.07.17 से 04.08.17 | Dy.Comdt s | 25 |
| 6 | यातायात नियंत्रण कोर्स | 20.11.17 से 24.11.17 | HC/Ct | 25 |
| 7 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 15.01.18 से 19.01.18 | HC/Ct. | 25 |
| 8 | आई.टी. रिफ्रेशर कोर्स | 05.02.18 से 09.02.18 | P.C. | 25 |
| 9 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 05.02.18 से 09.02.18 | HC/Ct. | 25 |
| 10 | टी.ओ.टी. रिफ्रेशर कोर्स | 19.02.18 से 23.02.18 | C.C | 25 |
| 11 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 19.02.18 से 23.02.18 | HC./Ct. | 25 |
| 12 | लीडरशीप रिफ्रेशर कोर्स | 05.03.18 से 09.03.18 | HC./Ct. | 25 |
| 13 | वैपन एण्ड टैक्टिस रिफ्रेशर कोर्स | 05.03.18 से 09.03.18 | P.C. | 25 |

(स) बोर्डर होमगार्डस के लिए सामूहिक प्रशिक्षण (कलेक्टिव ट्रेनिंग) वर्ष 2017-18 :-

| क्र. सं. | कोर्स का नाम | अवधि | दिवस | प्रशिक्षणार्थियों की सं० | बटालियन का नाम |
|----------|-------------------|----------------------|------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 03.04.17 से 22.04.17 | 20 | 35 | प्रथम बटालियन बाडमेर |
| 2 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 24.04.17 से 13.05.17 | 20 | 35 | द्वितीय बटालियन जैसलमेर |
| 3 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 15.05.17 से 03.06.17 | 20 | 35 | तृतीय बटालियन बीकानेर |
| 4 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 05.06.17 से 24.06.17 | 20 | 35 | चतुर्थ बटालियन श्रीगंगानगर |
| 5 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 27.06.17 से 16.07.17 | 20 | 35 | प्रथम बटालियन बाडमेर |
| 6 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 17.07.17 से 07.08.17 | 20 | 35 | द्वितीय बटालियन जैसलमेर |
| 7 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 08.08.17 से 27.08.17 | 20 | 35 | तृतीय बटालियन बीकानेर |
| 8 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 28.08.17 से 16.09.17 | 20 | 35 | चतुर्थ बटालियन श्रीगंगानगर |
| 9 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 18.09.17 से 07.10.17 | 20 | 35 | प्रथम बटालियन बाडमेर |
| 10 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 23.10.17 से 11.11.17 | 20 | 35 | द्वितीय बटालियन जैसलमेर |
| 11 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 18.11.17 से 07.12.17 | 20 | 70 | तृतीय एवं चतुर्थ बटालियन बीकानेर / श्रीगंगानगर |
| 12 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 11.12.17 से 30.12.17 | 20 | 35 | प्रथम बटालियन बाडमेर |
| 13 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 02.01.18 से 21.01.18 | 20 | 35 | द्वितीय बटालियन जैसलमेर |
| 14 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 23.01.18 से 11.02.18 | 20 | 35 | तृतीय बटालियन बीकानेर |
| 15 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 13.02.18 से 04.03.18 | 20 | 35 | चतुर्थ बटालियन श्रीगंगानगर |
| 16 | कलेक्टिव ट्रेनिंग | 06.03.18 से 25.03.18 | 20 | 35 | प्रथम बटालियन बाडमेर |

पुलिस आधुनिकीकरण योजना से सहायता

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 2003-04 से होम गार्डस के आधुनिकीकरण को शामिल करते हुए योजना राशि का 5 प्रतिशत होम गार्डस के लिए चिन्हित किया गया है।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की अप्रायोजित राशि रुपये 158.04 लाख का पुनःवैदीकरण प्राप्त हुआ है जिसमें आईटम सोलर एनर्जी इक्यूपमेंट फॉर रिमोट का बकाया भुगतान, एल.एम.वी. बोलेरो जीप 2 नग, बस 52 सीटर 2 नग एवं इक्यूपमेंट फॉर डिस्पेंसरी एवं गत वर्ष में क्रय की गई 5 बोलेरो जीप का बकाया भुगतान, एस.एल.आर राईफल 1325 नग, पिस्टल 100 नग की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके उपयोग हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

वार्षिक योजना :-

वार्षिक योजना 2017-18 में गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ कार्यालय भवनों के गत वर्ष में प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु राशि रुपये 108.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है जिनका निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रशस्ति पत्र :-

वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 में भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा इस विभाग के 4-4 अधिकारियों/कर्मचारियों को तथा वर्ष 2017 में इस विभाग के 2 अधिकारियों/कर्मचारियों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय का विशिष्ट/सराहनीय सेवा पदक प्रदान करने की घोषणा करने के फलस्वरूप इन 10 अधिकारी/कर्मचारियों को 26 जनवरी 2017 गणतन्त्र दिवस एवं 15 अगस्त 2017 स्वतन्त्रता दिवस को राजकीय समारोह में पदक प्रदान किये गये।

आलोच्य वर्ष 1 जनवरी 2017 से 31 दिसम्बर 2017 के दौरान 164 अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों को अनुशासन संधारण तथा राज्य सेवार्थ कार्य के सराहनीय निष्पादनार्थ एवम् उत्साहवर्द्धनार्थ की गई सेवाओं की प्रतिष्ठा में महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा एवं अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा तथा उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा द्वारा नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया।

विभागीय जाँच/निलम्बन का ब्यौरा :-

गृह रक्षा विभाग के कर्मचारियों के विरुद्ध दिनांक 01.01.2017 से अब तक विचाराधीन निष्पादित विभागीय जाँच/निलम्बन आदि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | प्रकरण | 01.01.2017 को शेष | 01.01.2017 के पश्चात् प्राप्त | योग | निस्तारण | शेष |
|---------|--------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | 16 सीसीए | 11 | 06 | 17 | 01 | 16 |
| 2. | 17 सीसीए | 01 | 07 | 08 | 04 | 04 |
| 3. | निलम्बन | 06 | 02 | 08 | 01 | 07 |
| | योग : | 18 | 15 | 33 | 06 | 27 |

प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी

गृह विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.33(5) गृह-9/2005 दिनांक 21.01.2012 जारी कर महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर को प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी रेग्यूलेशन एक्ट 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नियुक्त किया गया है जिसकी पालना में फरवरी 2012 से गृह रक्षा विभाग में सिक्यूरिटी सैल की स्थापना की गई है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण एवं वर्तमान में कार्यरत स्टाँफ की स्थिति निम्न प्रकार है ।

| क्र.सं. | नाम पद | उपलब्ध |
|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राज. जयपुर (कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी) | 1 |
| 2. | अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राज0 जयपुर। | 1 |
| 3. | उप महासमादेष्टा गृहरक्षा राजस्थान जयपुर। | 1 |
| 4. | जूनियर स्टाँफ ऑफिसर | 1 |
| 5. | सहायक प्रशासनिक अधिकारी | — |
| 6. | वरिष्ठ सहायक | — |
| 7. | कनिष्ठ सहायक | 1 |
| 8. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1 |
| 9. | गृह रक्षा स्वयं सेवक | 2 |
| 10. | गृह रक्षा स्वयं सेवक(वाहन चालक) | 1 |

गृह रक्षा विभाग में राजस्थान राज्य की विभिन्न निजी सुरक्षा एजेन्सियों से लाईसैंस हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम -2005 में निर्धारित फीस के रूप में दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक प्राप्त डी.डी. राशि रु. 46,90,000/- (अनुमानित) राज्य कोष के आय मद में जमा कराई गई है।

प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम - 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अधिसूचनाएँ जारी कर निम्नानुसार कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटीज की नियुक्ति की गई है जिनके द्वारा प्राइवेट सुरक्षा एजेन्सियों को आवंटित किये गये लाईसैंसों की स्थिति निम्नानुसार है :-

| क.स. | नियंत्रण अधिकारी का नाम | सिक्यूरिटी व प्रशिक्षण कार्यो हेतु आवंटित लाईसैस की संख्या |
|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | गृह सचिव, राजस्थान सरकार | 35 |
| 2. | निदेशक, राज0 पुलिस एकेडमी | 261 |
| 3. | महानिरीक्षक पुलिस (सुरक्षा) | 295 |
| 4. | महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा, राजस्थान (31.12.2017 तक) | 964 |
| 5. | लाईसैन्स नवीनीकरण (31.12.2017 तक) | 97 |

भाग - 4 (बजट संबंधी सूचना)
बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति वित्तीय वर्ष 2017-18

बजट मद - 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107-गृह रक्षा,
(04) शहरी गृह रक्षा
[01] शहरी गृह रक्षा (राज्य निधि)

| विस्तृत मद | बजट प्रावधान वर्ष 2017-18 | 31.12.2017 तक का व्यय |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 01- संवेतन | 2440.00 | 1725.93 |
| 03- टी.ए. | 20.00 | 7.01 |
| 04- मैडीकल | 15.00 | 8.53 |
| 05- कार्यालय व्यय | 40.00 | 33.41 |
| 08-वृत्तिक और विशिष्ट सेवायें | 18.00 | 4.10 |
| 09- किराया कर | 9.00 | 4.61 |
| 11- विज्ञापन/प्रचार/प्रसार | 0.40 | 0.12 |
| 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) | 23.50 | 14.53 |
| 18- मशीनरी एवं साज समान | 30.00 | 26.88 |
| 20- वाहन संधारण | 35.00 | 25.58 |
| 29- प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन | 0.40 | 0.07 |
| 32- डिक्री प्रभार | 0.01 | 0.00 |
| 36- वाहनों का किराया | 0.01 | 0.00 |
| 37- लिवरीज़ | 1.00 | 0.59 |
| 41- संविदा व्यय | 3.50 | 1.31 |
| 42- प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय | 1770.00 | 1097.74 |
| योग :- | 4405.82 | 2950.41 |

बजट मद - 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं
107-गृह रक्षा
(05) सीमा गृह रक्षा
[01] सीमा गृह रक्षा (राज्य निधि)

| विस्तृत मद | बजट प्रावधान वर्ष 2017-18 | 31.12.2017 तक का व्यय |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 01- संवेतन | 810.00 | 563.13 |
| 03- टी.ए. | 7.50 | 3.99 |
| 04- मैडीकल | 2.50 | 0.83 |
| 05- कार्यालय व्यय | 10.00 | 6.09 |
| 09- किराया कर | 0.10 | 0.09 |
| 11- विज्ञापन/प्रचार/प्रसार | 0.15 | 0.00 |
| 18- मशीनरी एवं साज समान | 25.00 | 24.55 |
| 20- वाहन संधारण | 20.00 | 09.37 |
| 29- प्रशिक्षण भ्रमण,सम्मेलन | 0.05 | 0.00 |
| 37- लिवरीज़ | 0.68 | 0.48 |
| 42- प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय | 265.00 | 172.53 |
| योग | 1140.98 | 781.06 |

बजट मद-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107- गृह रक्षा

(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

[01] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृह रक्षा

| पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत शहरी गृहरक्षा हेतु राशि | बजट प्रावधान वर्ष 2017-18 | 31.12.2017 तक का व्यय |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 06- वाहनो का क्रय (राज्य निधी) | 29.06 | 5.47 |
| 06- वाहनो का क्रय (केन्द्रीय सहायता) | 44.4 | 8.21 |
| 18-मशीनरी एवं साज सामान (राज्य निधी) | 30.40 | 5.30 |
| 18-मशीनरी एवं साज सामान (केन्द्रीय सहायता) | 45.60 | 7.95 |
| योग:- | 150.00 | 26.93 |

बजट मद-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

107- गृह रक्षा

(03) पुलिस आधुनिकीकरण योजना

[02] पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा

| पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत सीमा गृह रक्षा हेतु राशि उप बजट मद | बजट प्रावधान वर्ष 2017-18 | 31.12.2017 तक का व्यय |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 06- वाहनो का क्रय (राज्य निधी) | 0.00 | 0.00 |
| 06- वाहनो का क्रय (केन्द्रीय सहायता) | 0.00 | 0.00 |
| 18-मशीनरी एवं साज सामान (राज्य निधी) | 0.00 | 0.00 |
| 18-मशीनरी एवं साज सामान(केन्द्रीय सहायता) | 0.00 | 0.00 |
| योग:- | 0.00 | 0.00 |

बजट मद - 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पुंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य निर्माण

051 - निर्माण

(05) - सामान्य भवन (पुलिस प्रशासनिक भवन)

[02] - गृह रक्षा विभाग (आयोजना)

(राशि लाखों में)

| उप बजट मद | बजट प्रावधान वर्ष 2016-17 | 31.12.2017 तक का व्यय |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| 17-वृहद निर्माण कार्य | 108.00 | 0.00 |
| योग:- | 108.00 | 0.00 |

बजट मद - 2059- लोक निर्माण कार्य

80 - सामान्य

053 - रख रखाव तथा मरम्मत

(36) - गृह रक्षा विभाग

[01] - सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न मांगो के लिये विशेष एवं सामान्य मरम्मत (आयोजना भिन्न)


(राशि लाखों में)

| विस्तृत मद | बजट प्रावधान वर्ष 2016-17 | 31.12.2017 तक का व्यय |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत | 0.01 | 0.00 |
| योग | 0.01 | 0.00 |

गृह रक्षा संगठन का मानचित्र

परिशिष्ट "अ"

निदेशालय महानिदेशक गृह रक्षा
 महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा
 अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, गृह रक्षा
 उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा (प्रशासन)
 उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा (प्रशिक्षण)
 सीनियर स्टॉफ आफिसर-प्रथम
 सीनियर स्टॉफ आफिसर-द्वितीय
 जूनियर स्टॉफ आफिसर/उप समादेष्टा



अराजपत्रित स्टाफ एवं स्वयं सेवक

परिशिष्ट 'ब'

| होम गार्डस की स्वीकृत/ऑन रोल नफरी/कमी का विवरण | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| क्र.सं. | जिले का नाम | पुरुष | महिला | योग | ग्रामीण | कुल योग | मौजूदा | कमी | नियोजित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | अजमेर. | 1575 | 75 | 1650 | 220 | 1870 | 1810 | 60 | 290 |
| 2. | अलवर | 805 | 75 | 880 | 360 | 1240 | 1164 | 76 | 196 |
| 3. | बाड़मेर | 515 | 0 | 515 | 0 | 515 | 468 | 47 | 183 |
| 4. | बांसवाड़ा | 365 | 35 | 400 | 0 | 400 | 367 | 33 | 224 |
| 5. | बारां | 315 | 0 | 315 | 220 | 535 | 522 | 13 | 107 |
| 6. | बीकानेर | 1135 | 40 | 1175 | 0 | 1175 | 1140 | 35 | 203 |
| 7. | भरतपुर | 740 | 35 | 775 | 255 | 1030 | 992 | 38 | 113 |
| 8. | भीलवाड़ा | 660 | 35 | 695 | 220 | 915 | 866 | 49 | 196 |
| 9. | बून्दी | 330 | 35 | 365 | 220 | 585 | 548 | 37 | 302 |
| 10. | चूरु | 459 | 35 | 494 | 190 | 684 | 629 | 55 | 68 |
| 11. | चित्तौड़गढ़ | 330 | 0 | 330 | 550 | 880 | 814 | 66 | 275 |
| 12. | दौसा | 384 | 0 | 384 | 145 | 529 | 519 | 10 | 55 |
| 13. | धौलपुर | 220 | 0 | 220 | 220 | 440 | 420 | 20 | 148 |
| 14. | डूंगरपुर | 365 | 35 | 400 | 0 | 400 | 378 | 22 | 43 |
| 15. | गंगानगर | 695 | 40 | 735 | 0 | 735 | 713 | 22 | 195 |
| 16. | हनुमानगढ़ | 466 | 35 | 501 | 0 | 501 | 498 | 03 | 54 |
| 17. | जयपुर | 2670 | 185 | 2855 | 330 | 3185 | 3108 | 77 | 1577 |
| 18. | जालौर | 295 | 0 | 295 | 0 | 295 | 285 | 10 | 92 |
| 19. | जैसलमेर | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | 418 | 22 | 120 |
| 20. | झालावाड़ | 220 | 35 | 255 | 220 | 475 | 450 | 25 | 255 |
| 21. | झुन्झुनु | 220 | 35 | 255 | 110 | 365 | 344 | 21 | 52 |
| 22. | जोधपुर | 1890 | 110 | 2000 | 366 | 2366 | 2323 | 43 | 694 |
| 23. | करौली | 440 | 0 | 440 | 0 | 440 | 409 | 31 | 113 |
| 24. | कोटा | 1610 | 40 | 1650 | 365 | 2015 | 1990 | 25 | 450 |
| 25. | नागौर | 440 | 35 | 475 | 306 | 781 | 729 | 52 | 170 |
| 26. | पाली | 585 | 35 | 620 | 220 | 840 | 785 | 55 | 190 |
| 27. | प्रतापगढ़ | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 322 | 08 | 98 |
| 28. | राजसमन्द | 455 | 70 | 525 | 110 | 635 | 606 | 29 | 240 |
| 29. | स.माधोपुर | 440 | 0 | 440 | 184 | 624 | 617 | 07 | 120 |
| 30. | सीकर | 623 | 35 | 658 | 110 | 768 | 723 | 45 | 248 |
| 31. | सिरोही | 220 | 0 | 220 | 110 | 330 | 309 | 21 | 53 |
| 32. | टोंक | 440 | 0 | 440 | 145 | 585 | 549 | 36 | 125 |
| 33. | उदयपुर | 1050 | 92 | 1142 | 0 | 1142 | 1100 | 42 | 644 |
| | योग | 21727 | 1147 | 22874 | 5176 | 28050 | 26915 | 1135 | 7893 |
| सीमा गृह रक्षा दल की स्थिति | | | | | | | | | |
| क्र.सं. | जिले का नाम | स्वीकृत | मौजूदा | कमी | नियोजित | | | | |
| 1. | बाड़मेर | 666 | 613 | 53 | 279 | | | | |
| 2. | बीकानेर | 666 | 644 | 22 | 294 | | | | |
| 3. | गंगानगर | 666 | 642 | 24 | 280 | | | | |
| 4. | जैसलमेर | 666 | 606 | 60 | 288 | | | | |
| | योग | 2664 | 2505 | 159 | 1141 | | | | |

